

क्रमांक	वर्ग	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	विवरण
1	वाट पत्र के लिए स्तम्भ	6.00	वाट पत्र के लिए स्तम्भ
2	वाट पत्र के लिए स्तम्भ	2.00	वाट पत्र के लिए स्तम्भ
3	प्रदूषण के लिए स्तम्भ	2.00	वाट पत्र के लिए स्तम्भ
4	रूपरेखा पर प्लान के लिए स्तम्भ	4.00	वाट पत्र के लिए स्तम्भ
5	वाट पत्र के लिए स्तम्भ	2.00	वाट पत्र के लिए स्तम्भ
6	वाट पत्र के लिए स्तम्भ	2.00	वाट पत्र के लिए स्तम्भ
7	वाट पत्र के लिए स्तम्भ	2.00	वाट पत्र के लिए स्तम्भ
कुल		24.00	कुल

वाट के खर्च

प्रतिवादी  
 (श्रीमती सुश्री)  
 (पितामहीन अधिकारी)  
 उपखंड अधिकारी एवं  
 पदेन सहायक कलेक्टर  
 अक्षमदेव

22/06/2016

गई।

यह चिकी आज तारीख 22.06.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की भी नानाकरण की गई।  
 खर्चा पक्षकारान अपना वहन करें।  
 अक्षमदेव राजखर रेकार्ड में पालना सुनिश्चित करें।  
 नुकसान पहुँचाने का कार्य न तो रख कर तथा न ही अन्य व्यक्तियों से करावे। तदनुसार तहसीलदार  
 वादीगण की वादपत्र उक्त कृषि आयाजियात मूँस में जबरन फसल बोनो, काटने व मवेशियों से  
 प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरुद्ध इस आयाज की रखाई निषेधाज्ञा भी जारी की जाती है कि वे  
 हिस्सा) के रूप में राजखर रेकार्ड में दर्ज किये जावे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 के वादिसानों तथा  
 श्रीमती बबली पुत्री लिम्बा तथा श्री भैरा पुत्र लिम्बा के नाम बराबर-बराबर हिस्सेदार (1/7-1/7  
 संख्या 4 श्रीमती कमलेश पुत्री लिम्बा, वादी संख्या 5 श्रीमती बावरी पुत्री लिम्बा, वादी संख्या 6  
 पतिन स्व. लिम्बा, वादी संख्या 2 हीरा पुत्री लिम्बा, वादी संख्या 3 श्रीमती कर्ली पुत्री लिम्बा, वादी  
 व आ.न. 4224/0.0500 कुल किता 7 रकबा 0.6600 हेक्टर मूँस में वादी संख्या 1 श्रीमती झूमली  
 आ.न. 1583/0.2400, 1587/0.0200, 1588/0.1300, 1589/0.0500, 1591/0.0700, 1592/0.1000  
 है कि ग्राम बडलीकला की वर्तमान जमाबंदी खत 2069-72 के खता सं. 39 पर दर्ज वादपत्र मूँस  
 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और आधिकारिक चिकी दी जाती  
 में आज तारीख 22.06.2016 को शैलेश सुश्री (नाम पीतामहीन अधिकारी) उपखंड अधिकारी अक्षमदेव  
 वादीगण की ओर से श्रीमती झूमली वगैरहा की व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद

निष्पत्ति दिनांक :- 22.06.2016

सुकदमा नम्बर :- 53/2013 य.वा.

दावा बाबत :- धारा 88, RT ACT 1955

तहसील अक्षमदेव  
 निवासी बडलीकला माण्डवा कान्दर,  
 श्रीमती झूमली पति स्व. लिम्बा भील वगैरहा, बर्नाम  
 कौल श्री रामा पिता मनजी भील वगैरहा,  
 निवासी माण्डवाकला कान्दर,  
 तहसील अक्षमदेव

उपरोक्त

पीतामहीन अधिकारी :- शैलेश सुश्री (RAS)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर अक्षमदेव

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

मूल वाद में चिकी

अन्तिम चिकी